आदेश
(अन्तर्गत धारा 144 सीआरपीसी)

जनपद गढ़वाल में लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। विश्वस्त स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इस बात की प्रबल सम्भावना है कि असामाजिक एवं अवांछनीय तत्व लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दौरान साम्प्रदायिकता, जातियता, राजनैतिक, प्रतिद्वन्दिता तथा धार्मिक एवं भाषायी आधार पर समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ाने/ फैलाने का प्रयास कर सकते हैं अथवा अन्य समाज विरोधी एवं अवांछनीय कार्यवाही कर सकते हैं, जिससे शान्ति एवं सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था भंग होने की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उपरोक्त स्थितियों एवं सूचनाओं पर सम्यक विचारोपरान्त मेरा समाधान हो गया है कि विधि एवं व्यवस्था तथा शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद गढ़वाल में मैं, धीराज सिंह गर्ब्याल मजिस्ट्रेट, जनपद गढ़वाल धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित करता हूँ:–

1– जनपद गढ़वाल की सीमान्तर्गत अधोहस्ताक्षरी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक स्थल पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे तथा नही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और नही जुलूस आदि निकालेंगे।

2– कोई भी दल अथवा व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजाली, खुखरी, तलवार अथवा अन्य तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम अथवा अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जन साधारण को डराने के लिए अथवा अन्य कोई अपराध करने के लिए, जैसे अवांछनीय,/ आपराधिक कृत्य सम्मिलित हैं, को किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा। उपरोक्त अंकित शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अथवा राजकीय कर्मियों पर लागू नहीं होगा। वृद्ध तथा दुर्बल व्यक्ति चलने हेतु स्टिक लेकर चल सकते हैं, यदि वे इनके बिना चलने में असमर्थ हों। धार्मिक रूप से अनुमन्य हथियारों को साथ रखने एवं परिवहन करने पर यह प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होंगे।

3– कोई भी दल अथवा व्यक्ति नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 200 मीटर के अन्दर कोई भी वाहन कदापि नहीं लायेगा।

4– नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में केवल अभ्यर्थी उसका प्रस्तावक एवं तीन अन्य कुल पॉच व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे।

5– कोई भी व्यक्ति मतदेय स्थल /मतगणना केन्द्र के अन्दर कोई मोबाईल फोन अथवा वायरलैस आदि उपकरण का इस्तेमाल कदापि नहीं करेगा।

6– कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल, प्रत्याशी ऐसा कोई भी कार्य किसी भी रूप में नहीं करेगा जिससे आदर्श आचार संहिता/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हो।

7– कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदेय स्थल/ मतगणना केन्द्र के 200 मीटर के अन्दर कोई भी वाहन कदापि नहीं लायेगा।

8– कोई भी दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा।

उपर्युक्त आदेश आपातिक स्थिति एवं लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 की संवदेनशीलता के दृष्टिगत रखते हुए तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं होने के कारण एकपक्षीय रूप से पारित करता हूँ।

उपरोक्त प्रतिबन्ध इस आदेश के जारी होने के दिनांक से लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक जनपद गढ़वाल की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रों में लागू होंगे, यदि यह अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये।
उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन धारा 188 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

आज दिनांक 10 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के अन्तर्गत यह आदेश निर्गत किया गया।

स्थानः पौड़ी।
दिनांक 10 मार्च, 2019

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, गढ़वाल।

पत्र संख्या 408/29आचार संहिता/2019 दिनांक 11 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल।
2– मुख्य विकास अधिकारी, गढ़वाल।
3– अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल।
4–समस्त मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार, अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका /समस्त नगर पंचायत, गढ़वाल।
5– जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
6– समस्त कार्यालयाध्यक्ष जनपद गढ़वाल।
7– जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, पौड़ी को उक्त सूचना को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8– अध्यक्ष/मत्री समस्त राष्ट्रीय/राजीय राजनैतिक दलों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।